राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/बारां/2010 जयपुर, दिनांक : 10/5/11

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
बारां।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सहरिया परिवारों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2011–12 में की गयी घोषणा के अनुरूप सहरिया परिवारों को 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करने वाले तथा खेती करने वाले सहरिया परिवारों के सर्वे हेतु रूपये दो लाख तक का वहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार से उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त रोजगार पर होने वाला व्यय तथा सर्वे किये जाने हेतु रूपये दो लाख तक का व्यय राज्य मद से वहन किया जायेगा।

इस प्रकार से राज्य मद में उपलब्ध कराये जाने वाले 100 दिवस के रोजगार का विवरण प्रत्येक माह विभाग को अलग से अवगत करवाया जावे।

उक्त निर्देश वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 101100953 दिनांक 17.03.2011 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी। निजी सचिव, मुख्य सचिव.
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां।
4. रक्षित पत्रावली। All officers of the H.Q.

10/5/11

परि.निदे.एव उप सचिव, ईजीएस